बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला योजना शाखा)

दूरभाष : 06346–232153 (कार्या०)
ई–मेल : lakhisaraidpo@gmail.com

# निविदा आमंत्रण सूचनास संख्या 4/17–18

योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5043 दिनांक 07.09.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनान्तर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में साफ–सफाई हेतु निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं/ कम्पनी/फर्म से द्वि– लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग सील बंद रहेगी। दोनों निविदा को एक अलग लिफाफे में मुहरबन्द कर रखा जायेगा। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्ते लखीसराय जिले के वेबसाईट http://lakhisarai.bih.nic.in पर देखी जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को नीचे दर्शाए निविदा संबंधी निर्देश के आलोक में खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 15.09.2017 के 3:00 बजे अपराह्न तक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, लखीसराय में जमा किया जा सकता है, उसी दिन को 4:00 बजे अपराह्न में जिला पदाधिकारी लखीसराय के कार्यालय कक्ष में निर्णय हेतु खोला जायेगा।

## तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0– 10000.00 (दस हजार रूपयें ) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के नाम से देय होगा, संलग्न किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का बना होना चाहिए। तकनीकी निविदा की शर्तो को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. निविदादाता संस्था/ कम्पनी/फर्म को संबंधित विभाग के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. संस्था/ कम्पनी/फर्म के नाम से खोले गये खाता संख्या का विवरण देना अनिवार्य होगा। बैंक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. संस्था/ कम्पनी/फर्म का सेवा कर में निबंधन होना अनिवार्य है।
5. संस्था/कम्पनी/फर्म का आयकर विभाग से निबंधित होना अनिवार्य है तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलगन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ निविदादाताओं को GST निबंधन की छाया प्रति संलग्न करना होगा
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने के शपथ पत्र देना होगा।

## अन्य आवश्यक शर्तेः–

1. निविदा को दो प्रकार के लिफाफे में यथा (1) तकनीकी (2) वित्तीय अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर लिफाफे के उपर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र साफ–सफाई आउट सोर्सिंग सेवा से संबंधित निविदा स्पष्ट अक्षरों में उल्लेंखित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

17/08/17

10-08-2017 super drcc

2. निविदा में सफल संस्था को एक सप्ताह के अन्दर लेवर लाईसेंस कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निबंधन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, तभी उनकी निविदा की सफलता स्वीकार की जाएगीं।
3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रं के आंतरिक एवं बाह्य सम्पूर्ण परिसर की साफ–सफाई के साथ–साथ टॉयलेट/यूरीनॉल की भी सफाई करनी होगी। सफाई का काम अनवरत 24 घंटे चलता रहेगा। प्रतिदिन प्रतिवर्ग मीटर की दर से निविदादाता को वित्तीय निविदा में दर अंकित करना होगा, जिसके आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण होगा।
4. साफ–सफाई कार्यो के लिए सामाग्रियों की आपूर्ति संस्था को स्वयं करनी होगी।
5. उक्त निविदा में सफल निविदादाता के साथ 11(ग्यारह ) माह के लिए अनुबंध होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अवधि विस्तार संबंधी निर्णय लिया जायेगा।
6. सफल निविदादाता को अनुबंध /एकरारनामा करने का समय 15 (पंद्रह) दिनों का दिया जायेगा।
7. सफल निविदा को रू0 10000.00 (मो0 दस हजार रूपयें ) मात्र की बैंक गारंटी जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के नाम से अनुबंध के समय देना होगा। साफ सफाई कार्य असंतोषप्रद रहने पर बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी तथा विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
8. उक्त निविदा में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में कार्यरत कर्मी/ पदाधिकारी अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदार भाग नहीं ले सकते है।
9. निविदा को रद्द अथवा चयन करने का अधिकार अंतिम रूप से चयन समिति की होगी।
10. वित्तीय निविदा के दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित होंगे।
11. संस्था/कम्पनी/फर्म को प्रावधानित करों की कटौती के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
12. संस्था/ कम्पनी/फर्म के द्वारा नियुक्त सफाईकर्मी 18 से कम एवं 50 वर्ष से अधिक का नही होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

**<u>वित्तीय शर्तेः–</u>**

1. आंतरिक परिसर एवं टॉयलेट का साफ–सफाई के लिए प्रति वर्ग मीटर दर अंकित करें।
2. बाह्य परिसर का प्रति वर्ग मीटर का सफाई का दर अंकित करें।

17/08/17

जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय

ज्ञापांक 505 दिनांक 17-8-17

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला लखीसराय के वेवसाईड पर अपलोड़ किया जाय।

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अनुरोध है कि किसी दो दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

17/08/17

जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय

10-08-2017 super drcc